

# न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0- 21 / 18-19

देवा पहाड़िया बनाम् रैयान मौजा-जोकाचतमा

-: आदेश :-

03.12.2020

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक देवा पहाड़िया, पे0-धर्मा पहाड़िया, सा0-छोटा बोरवे, थाना-राजाभीठा, अंचल-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा ने संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा- जोकाचतमा नं0-04 के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दिया है।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक-112/रा0, दिनांक-21.03.2015 से प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा- जोकाचतमा नं0-04 प्रधानी मौजा है। आवेदक मौजा- जोकाचतमा नं0-04 के अन्तर्गत जमाबंदी नं0-04 के जमाबंदी रैयत गोलिया मांझी के छरपोता हैं। आवेदक के पिता धर्मा पहाड़िया उक्त प्रधानी मौजा के अंतिम प्रधान थे। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत वंशानुगत आवेदक देवा पहाड़िया को मौजा- जोकाचतमा नं0-04 का प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया गया है।

किसी भी व्यक्ति या प्रधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक मौजा के 16आना रैयतों को सामान्यतः स्वीकार है तथा उनके विरुद्ध संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 के तहत वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 के अनुसूची-V की उपधारा-3 के अनुसार The office of Headman being hereditary the next heir who is titled should be headman के आलोक में आवेदक के आवेदन के विरुद्ध मौजा के 16आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर देवा पहाड़िया, पे0-धर्मा पहाड़िया, सा0-छोटा बोरवे, थाना-राजाभीठा, अंचल-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा को संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा- जोकाचतमा नं0-04 का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।



अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।



अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।